मीरजापुर पुलिस
—प्रेस नोट—

दिनांकः03.12.2024

थाना मड़िहान पुलिस द्वारा गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित ₹ 15-15 हजार के 02 इनामिया गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक मीरजापुर 'अभिनन्दन' द्वारा जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने तथा अपराध की रोकथाम एवं इनामिया/पुरस्कार घोषित अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान में प्रभावी कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त थाना प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन व क्षेत्राधिकारी आपरेशन के नेतृत्व में थाना मड़िहान पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आज दिनांक 03.12.2024 को थाना मड़िहान पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र में भ्रमणशील थे कि इस दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर वरिष्ठ उप निरीक्षक राजेश कुमार सिंह मय पुलिस टीम द्वारा थाना मड़िहान क्षेत्रांतर्गत ग्राम कुन्दरूफ अटारी मोड़ के पास से मु0अ0सं0 229/2024 धारा 3(1) उ.प्र. गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम से सम्बन्धित ₹ 15-15 हजार के 02 इनामिया अभियुक्तगण 1. धन्नजय सिंह चौहान पुत्र राम दुलार निवासी अटारी थाना मड़िहान जनपद मीरजापुर व 2. रामनिवासी उर्फ श्रीनिवास पुत्र स्व0 डोमा चौहान निवासी मटिहानी थाना मड़िहान जनपद मीरजापुर को गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना मड़िहान पुलिस द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को मा0न्यायालय/जेल भेजा गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण—

1. धन्नजय सिंह चौहान पुत्र राम दुलार निवासी अटारी थाना मड़िहान जनपद मीरजापुर, उम्र करीब- 42 वर्ष।
2. रामनिवासी उर्फ श्रीनिवास पुत्र स्व0 डोमा चौहान निवासी मटिहानी थाना मड़िहान जनपद मीरजापुर, उम्र करीब- 53 वर्ष।

आपराधिक इतिहास—

मु0अ0सं0-14/2024 धारा 307 भादवि व धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना मड़िहान जनपद मीरजापुर।
मु0अ0सं0- 05/2024 धारा 394, 427 भादवि थाना मड़िहान जनपद मीरजापुर।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय —

ग्राम कुन्दरूफ अटारी मोड़ के पास से, आज दिनांकः 03.12.2024 को समय 07.30 बजे।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम—

वरिष्ठ उप-निरीक्षक राजेश कुमार सिंह मय पुलिस टीम थाना मड़िहान मीरजापुर।